



नोटिस

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर संचालित पाठ्यक्रमों यथा-बी०ए०, बी०वी०ए०, बी०कॉम एवं बी-टेक आदि में शून्य क्रेडिट (नॉन क्रेडिट) विषय अन्तर्गत पर्यावरण अध्ययन आदि को पाठ्यक्रम अवधि के मध्य नियमानुसार परीक्षा उत्तीर्ण किया जाना अनिवार्य है।

परीक्षा समिति की 14वीं बैठक दिनांक 04.11.2023 के निर्गत कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या-11/14 पर प्रदत्त आदेश के अनुपालन में यह निर्देशित किया जाना है कि प्रत्येक दशा में स्नातक स्तरीय सम्बन्धित परीक्षार्थी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि उनके द्वारा शून्य क्रेडिट (नॉन क्रेडिट) विषय अन्तर्गत पर्यावरण अध्ययन आदि विषयों की परीक्षा अनिवार्य रूप से उत्तीर्ण कर ली जाय, जिससे सम्बन्धित परीक्षार्थी के परीक्षा परिणाम तदोपरांत निर्गत की जाने वाली अंक-तालिका पर कोई प्रतिकूल प्रभाव की स्थिति उत्पन्न न हो। यदि किसी भी स्तर पर ऐसे शून्य क्रेडिट (नॉन क्रेडिट) विषय अन्तर्गत पर्यावरण अध्ययन आदि विषयों की परीक्षा सम्बन्धित परीक्षार्थी द्वारा उत्तीर्ण नहीं की जाती है, तो ऐसी स्थिति में उत्पन्न होने वाली विषम/प्रतिकूल परिस्थिति के लिये सीधे सम्बन्धित परीक्षार्थी उत्तरदायी होगा।

अतः स्नातक स्तरीय समस्त परीक्षार्थियों से अपेक्षित है कि इसका उपर्युक्तानुसार अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए।

(डॉ० अमित कुमार राय)
परीक्षा नियंत्रक

पत्रांक COE-621 /COE-31(II)/ DSMNRU/ परीक्षा समिति/2023-24

दिनांक:- 20 जनवरी, 2024

प्रतिलिपि:निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वैयक्तिक सहायक, कुलपति को मा० कुलपति महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
2. कुलसचिव, विश्वविद्यालय।
3. समस्त अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष/निदेशक/समन्वयक को इस अनुरोध के साथ कि विभागीय नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने का कष्ट करें।
4. अधिष्ठाता, छात्र-कल्याण, विश्वविद्यालय।
5. सम्बन्धित अधिकारीगण, विश्वविद्यालय।
6. सिस्टम एनॉलिस्ट को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
7. नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
8. गार्ड फाइल।

(डॉ० अमित कुमार राय)
परीक्षा नियंत्रक